रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072021-228087
CG-DL-E-02072021-228087

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2483] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 2, 2021/आषाढ़ 11, 1943
No. 2483] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 2, 2021/ASHADHA 11, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2021

का.आ. 2681(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम,1962 (1962 का 50) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 3397(अ) तारीख 28.09.2020 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 3027, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 30.09.2020 मे किया गया है। इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट ओड़िशा राज्य के **तहसील : एरसमा, जिला: जगतसिंहपुर, तहसील : निआलि, क्ण्टपडा, जिला: कटक , तहसील : पिपिलि, जिला: पुरी , तहसील : टांगि, जिला: खोर्द्धा, तहसील : रणपुर, जिला: नयागढ़** की भूमि में, ओड़िशा राज्य में पारादीप से तेलंगाना राज्य में हैदराबाद तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे "पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना" के संबंध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी नें केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अत:अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शोक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए; और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शोक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

राज्य - ओड़िशा							
क्रं. सं.	जिला	तहसील	गाँव का नाम	प्लॉट नं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जगतसिंहपुर	एरसमा	पाणिगड़िआकन्धा	326	00	05	40
			गड़कुजंग	147	00	06	80
			बडबुदा	313	00	02	60
				315	00	01	20
			चकुलिआ	390	00	00	47
				374	00	01	40
				403	00	01	10
2	कटक	निआलि	बरगुडिकुदा	533	00	01	60
				532	00	01	20
				854	00	03	60
3	कटक	क्ण्टपडा	सलेइबेदपुर-2	537	00	06	48
4	पुरी	पिपिलि	सिउला	244	00	05	40
			भारतीपुर	1574	00	00	40
				1575	00	00	60
				1576	00	00	60
				1577	00	00	60
5	खोर्द्धा	टांगि	अम्भाबिल	1104	00	01	40
			छणगिरि	456	00	07	11
6	नयागढ़	रणपुर	बलरामपुर	52	00	01	60
			कंकिया	537	00	04	00
				2350	00	06	48
				2349	00	05	60
				2533	00	01	56

[फा. सं. आर-11025(11)236/2017-ओआर-I/ई-13717]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2021

S.O. 2681(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India Nos. 3027 Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 30.09.2020 vide S.O.Number – 3397(E) dated 28.09.2020 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962),(hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intension to acquire the right of user in the land situated in **Tahasil- Erasama, District-Jagatsinghpur, Tahasils-Niali, Kantapada, District-Cuttack, Tahasil-Pipili, District-Puri, Tahasil-Tangi, District-Khordha, Tahasil-Ranapur, Ditrict-Nayagarh** in Odisha State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum products from Paradip in the State of Odisha to Hyderabad in the State of Telengana by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the "Paradip-Hyderabad Pipeline Project".

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public. And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

\And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

State - Odisha							
Sl.No.	District	Tahasil	Village	Plot No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.Mtr.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JAGATSINGHPUR	ERASMA	PANIGARIAKANDHA	326	00	05	40
			GARHKUJANG	147	00	06	80
			BADABUDA	313	00	02	60
				315	00	01	20
			CHAKULIA	390	00	00	47
				374	00	01	40
				403	00	01	10
2	CUTTACK	NIALI	BARAGURIKUD	533	00	01	60
				532	00	01	20
				854	00	03	60
3	CUTTACK	KANTAPADA	SALEIBEDPUR-2	537	00	06	48

4	PURI	PIPILI	SIULA	244	00	05	40
			BHARATIPUR	1574	00	00	40
				1575	00	00	60
				1576	00	00	60
				1577	00	00	60
5	KHORDHA	TANGI	AMBHABIL	1104	00	01	40
			CHHANAGIRI	456	00	07	11
6	NAYAGARH	RANAPUR	BALARAMPUR	52	00	01	60
			KANKIA	537	00	04	00
				2350	00	06	48
				2533	00	01	56
				2349	00	05	60

[F. No. R-11025(11)236/2017-OR-I/E-13717]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.02 22:21:17 +05'30'